संख्या- 09 /2024/30/चार-2024

प्रेषक ,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2024**

विषयः- उत्तरायण/मकर संक्रान्ति से प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन/कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3949 /सं0नि0-15(69)/2023-24, दिनांक 02 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उत्तरायण/मकर संक्रान्ति से प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन/कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषदों को निम्न तालिका के अनुसार कुल रू0 690.00 लाख (रूपये छ: करोड़ नब्बे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

फतेहपुर, प्रतापगढ़,जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, बरेली, अलीगढ़ (प्रति जनपद 20x15 लाख=300 लाख)	300.00 लाख
काशीराम नगर, शाहजहांपुर, बदायूँ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, प्रयागराज, कुशीनगर, महाराजगंज, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी (प्रति जनपद 23x10 लाख=230 लाख)	230.00 लाख
मिर्जापुर, भदोही, मऊ, बस्ती, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, बहराईच, अम्बेडकरनगर, फर्रूखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, ललितपुर, हाथरस, एटा, पीलीभीत, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर(नोएडा), मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत (प्रति जनपद 32x5 लाख =160 लाख)	160.00 लाख
योग (रूपये छ: करोड़ नब्बे लाख मात्र)	690.00 लाख

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-वाउचरों की जांच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त व्यय, धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर समस्त जनपदों के जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के बैंक खातों में प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-21-रामोत्सव अयोध्या 2023-24-42- अन्य व्यय' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 09 /2024/30(1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- समस्त जिलाधिकारी/ जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।